

मंडल कार्यालय आदेश 17/2025

L.N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III

Date 03-06-2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक एवं
मुख्य क्रयू नियंत्रक जोधपुर, मेडता रोड
समस्त लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवम् शंटर।

विषय – 1. Counselling of crew and key Actionable point .
2. Intensive footplate by supervisors & counselling of LPs/ALPs Working over DFC

सन्दर्भ – 1. HQ L.no- M/D&R/ Safety/ 140/ 2 Dated 23.05.2025
2. RB Letter no 2025/Elect (TRS)113/safety Misc Dated 30.05.2025
3. Exec. Dir. Elect. (RS) –(I) RB Letter no 2025/Elect (TRS)113/safety Misc Dated 15.05.2025

उपर्युक्त संदर्भित पत्र 1. के अनुपालन में, सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है पत्र में लिखे SPAD से बचाव के लिए चालक दल की काउंसलिंग मद और प्रमुख कार्रवाई योग्य मद को क्रू को काउंसलिंग करे तथा सभी मदों की अनुपालना सुनिश्चित करे।

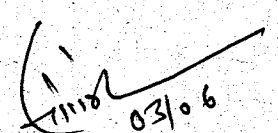
संदर्भित पत्र 2 के अनुपालन में वे अपने नामित एवं अन्य रनिंग स्टाफ को DFCCIL Rule 113/2 तथा संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में गहन काउंसलिंग करे तथा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। मुख्य लोको निरीक्षक DFC क्षेत्र में की गई फुटप्लेट और DFC कार्य करने वाले क्रू को की गई काउंसलिंग की रिपोर्ट प्रतिमाह PCDO के साथ सबमिट करे।

DFCCIL Rule 113/2

जब किसी आटोमैटिक स्टॉप सिग्नल के 'ऑन' होने की स्थिति में गुजरना हो तो लोको पायलट की ड्यूटी -

(2) यदि ठहराव के बाद और एक मिनट प्रतीक्षा के बाद भी सिग्नल 'ऑन' रहता है तो, वह जहां तक लाइन क्लियर मिले, गाड़ी को अगले आटोमैटिक स्टॉप सिग्नल तक बढ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ाएगा ताकि वह किसी अवरोध से पहले गाड़ी को रोक सके।

संलग्न - संदर्भित पत्र।


वरि.मं.याँ.इंजी (P/EnHM)
उ.प.रेलवे, जोधपुर।

प्रतिलिपि- सहा.मं.याँ.इंजी (P/EnHM)को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।